न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
29 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	14.05.2024	19.07.2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री चेतन कुमार जैन निवासी 117 नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री श्याम आशीष ट्रेडर्स सुभाष मार्केट बैंक ऑफ बडौंदा के पीछे मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502 मोबाईल नं0 9251307104

2–मैसर्स श्री श्याम आशीष ट्रेडर्स सुभाष मार्केट बैंक ऑफ बडौंदा के पीछे मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502

3–श्री सन्मति जेन पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार जैन निवासी कापडियों का मोहल्ला बृजलाल निकेतन स्कूल के सामने मालपुरा जिला टोंक राज0 प्रोपरायटर मैसर्स सन्मति एजेन्सीज बस स्टैण्ड के बाहर सुराशाही भवन मालपुरा जिला टोंक राज0। पिन कोड–304502

4–मैसर्स सन्मति एजेन्सीज बस स्टैण्ड के बाहर सुराशाही भवन मालपुरा जिला टोंक राज0। पिन कोड–304502

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री सन्मति जैन स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–:

दिनांक 19.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2023 को समय 03:50 पीएम पर मैसर्स श्री श्याम आशीष ट्रेडर्स सुभाष मार्केट बैंक ऑफ बडौंदा के पीछे मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री चेतन कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री आशीष कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./ मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान जनता को विक्रय हेतु दुकान में खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य प्रदार्थ के साथ–साथ दुकान की रेक में 10–12 बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पंकज ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसका बैंच नं0 एसकेजे 16 एवं पैकिंग की दिनांक 14.09.2023 थी, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री चेतन कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री चेतन कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा 1–1 किलोग्राम के 4 पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1–1 किलोग्राम के 4 पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर चार भाग तैयार कर एवं प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3849 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3849 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री चेतन कुमार जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सन्मति एजेन्सीज बस स्टैण्ड के बाहर सुराशाही भवन मालपुरा जिला टोंक का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएस/2023/1100 दिनांक 28.11.1023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलस/4455/एक्ट/2023/4639 दिनांक 14.11.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पंकज ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सन्मति जैन स्वय उपस्थित एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है तथा इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियां अंकित हैं, खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है, अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (पंकज ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मूंगफली तेल (पंकज ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 19.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0